

डिक्री व मुकदमे ईवतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 48/2025

- 1 कलवन्तसिंह पि. चड़सिंह जाति कुम्हार नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
  - 2 चरणसिंह पि. चड़सिंह जाति कुम्हार निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
  - 3 सुखपाल सिंह पि. चड़सिंह जाति कुम्हार नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
  - 4 हरबन्स सिंह पि. चड़सिंह जाति कुम्हार नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- वादीगण

बनाम

- 1 नसीबकौर पुत्री चड़सिंह जाति कुम्हार नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2 नसीबकौर पुत्री चड़सिंह जाति कुम्हार नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 3 तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

सिंह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 122/21 में वादी सं. 1 व 2, 0.506 है. के बहिब के व खाता सं. 123/7 में वादी सं. 1 व 3 व 4, 0.759 है. के व वादी सं. 2, 0.126 है. के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक नं. 4 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 122/21 में वादी सं. 3 व 4 व प्रतिवादीया नं. 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाकर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी संख्या 1 कलवन्त सिंह की कब्जा काशत भूमि:-

चक नं.	खाता नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 एलएलडब्ल्यू	122/21	143/213	30	2/0.253
	123/7	144/212	20	11/0.253

2. वादी सं. 2 चरण सिंह की कब्जा काशत:-

चक नं.	खाता नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 एलएलडब्ल्यू	122/21	143/213	30	3/0.253
	123/7	144/212	20	13/1/0.126

- 3 वादी सं. 3 सुखपाल सिंह की कब्जा काशत

चक नं.	खाता नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 एलएलडब्ल्यू	123/7	143/213	30	4/0.253

- 4 वादी सं. 4 हरबन्स सिंह की कब्जा काशत:-

चक नं.	खाता नं.	प.नं.	मु.नं.	किला नं.
4 एलएलडब्ल्यू	123/7	144/212	20	12/0.253

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज......नल......मुब्लिक......निल......बाबत्......निल......खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक......अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.5.2022 को जारी



*(Handwritten signature)*

(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
संगरिया